संख्या-78/2022/1494/26-3-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 जुलाई 2022

विषयः- जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-48/40/जा0जा0वि0/2022-23, दिनांक-23.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के अनुरूप निर्माण कार्य कराये जाने हेतु धनराशि रू0-832.71 लाख (रूपये आठ करोड़ बत्तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 में संविधान के अनुच्छेद-275(1)के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 4225-02-796-01-0104-24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0-4000.00 लाख के सापेक्ष निम्नानुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रूपये 832.71 लाख (रूपये आठ करोड़ बत्तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	प्रस्ताव/कार्य का नाम	निर्माण स्थल के ग्राम एवं ब्लाक का नाम	जनपद	वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्रस्तावित धनराशि	भारत सरकार की पी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत धनराशि	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	आवंटन हेतु स्वीकृत धनराशि
1	जनजाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु इण्टर लॉकिंग रोड, पिच रोड एवं नाली निर्माण व सोलर लाईट की स्थापना	ग्राम-बजही, ब्लाक-पलिया	लखीमपुर खीरी	344.91	232.91	212.71	212.71
2	जनजाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु इण्टर लॉकिंग रोड,पिच रोड एवं नाली निर्माण व सोलर लाईट की स्थापना	ग्राम-बनकटी, ब्लाक-सिरसिया	श्रावस्ती	296.67	250.00	240.00	240.00
3	जनजाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु इण्टर लॉकिंग रोड,पिच रोड एवं नाली निर्माण व सोलर लाईट की स्थापना	ग्राम-सहोनी, ब्लाक-मिहीपुरवा	बहराईच	285.67	250.00	240.00	240.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	जनजाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु इण्टर लॉकिंग रोड व सोलर लाईट की स्थापना	ग्राम-सेमरहवा	बलरामपुर	161.95	150.00	140.00	140.00
			कुल योग	1089.20	882.71	832.71	832.71

(रूपये आठ करोड़ बत्तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)

(1)-निदेशक, जनजाति विकास उ0प्र0 द्वारा क्रमांक-1 से 4 तक के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था यू.पी.सी.एल.डी.एफ. लखनऊ को स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक-11.11.2014 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही लिया जायेगा।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(4)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(6)-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाये।

(8)- उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9)- उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं, गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10)-आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11)-परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12)-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(13)-प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(14)-योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।

(15)-यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटिरिंग भी किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16)-प्रश्नगत कार्य में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12.05.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17)-उक्त धनराशि को एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एकाउन्ट) में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0-8,32,71,000 (रू0 आठ करोड़ बत्तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-02-796-01-0104 संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाईयों के निर्माण हेतु अनुदान (के.100/रा.के.) मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-68-X-2022-2023, दिनांक-12-07-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

पृ0संख्या-78/2022/1494(1)/26-3-2022-तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, लखनऊ, उ0प्र0।
8- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच एवं बलरामपुर।
9- गार्ड फाइल।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।